भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2664
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में पीएमएनडीपी का कार्यान्वयन

2664. श्री मस्तान राव यादव बीडा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शामिल किए गए जिलों और डायलिसिस केंद्रों की संख्या सहित देश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, और अब तक मुफ्त डायलिसिस सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के तहत संस्वीकृत/अनुमोदित नए डायलिसिस केंद्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है, साथ ही ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए ज़िला अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की पहचान हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और
(ग) सरकार द्वारा नए संस्वीकृत किए गए डायलिसिस केंद्रों को समय पर परिचालित करने और ऐसे केंद्रों पर प्रशिक्षित तकनीशियनों और मशीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): 'जन स्वास्थ्य' और 'अस्पताल' राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, जिसमें डायलिसिस सेवाएँ भी शामिल हैं, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) की शुरुआत देशभर के जिला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में डायलिसिस केंद्र स्थापित करके हीमोडायलिसिस सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने तथा पात्र रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह कार्यक्रम वर्तमान में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है, जिसमें 751 जिले (44 संबद्ध जिलों सहित) शामिल

हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30.06.2026 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत 1,856 हीमोडायलिसिस केंद्र संचालित हैं, जो 13,535 हीमोडायलिसिस मशीनों से सुसज्जित हैं।

पीएमएनडीपी के अंतर्गत डायलिसिस केंद्रों की स्थापना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की गई थी, जिन्हें कमियों का आकलन करने के बाद तैयार किया गया था। इन प्रस्तावों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठकों में विचार किया जाता है और कार्यवाही अभिलेख (रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स - आरओपी) के माध्यम से स्वीकृति दी जाती है। पीएमएनडीपी के अंतर्गत स्थापित डायलिसिस केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या, जिसमें पिछले दो वर्षों के दौरान जोड़े गए केंद्र भी शामिल हैं, अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग): यह मंत्रालय, कॉमन रिव्यू मिशन (सीआरएम) तथा वरिष्ठ अधिकारियों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम की समय-समय पर निगरानी करता है। ऐसी समीक्षाओं के दौरान, यदि कोई डायलिसिस केंद्र कार्यशील नहीं पाया जाता है, तो आवश्यक सुधार करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के संज्ञान में यह बात लाई जाती है। डायलिसिस केंद्रों का समय पर संचालन शुरू करने, डायलिसिस तकनीशियनों सहित पर्याप्त प्रशिक्षित मानव संसाधन की तैनाती सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा यथा प्रयोज्य, कार्यान्वयन भागीदार की होती है।

अनुलग्नक-I

पिछले दो वर्षों के दौरान पीएमएनडीपी के अंतर्गत स्थापित डायलिसिस केंद्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	8
2	आंध्र प्रदेश	59	61
3	अरुणाचल प्रदेश	11	11
4	असम	54	74
5	बिहार	38	38
6	चंडीगढ़	1	1
7	छत्तीसगढ़	35	39
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2	2
9	दिल्ली	7	16
10	गोवा	16	18
11	गुजरात	272	282
12	हरियाणा	21	21
13	हिमाचल प्रदेश	24	24
14	जम्मू और कश्मीर	23	29
15	झारखंड	24	24
16	कर्नाटक	200	214
17	केरल	111	113
18	लद्दाख	2	2
19	लक्षद्वीप	4	4
20	मध्य प्रदेश	67	70
21	महाराष्ट्र	65	158
22	मणिपुर	9	9
23	मेघालय	5	5
24	मिजोरम	4	5
25	नागालैंड	4	7
26	ओडिशा	67	68
27	पुडुचेरी	2	2
28	पंजाब	40	40
29	राजस्थान	35	35
30	सिक्किम	4	4
31	तमिलनाडु	141	146
32	तेलंगाना	95	101
33	त्रिपुरा	8	8
34	उत्तर प्रदेश	75	75
35	उत्तराखंड	19	19
36	पश्चिम बंगाल	69	73
